[2018] 13 एस. सी. आर 405

जग्जीत सिंह

वी.

पंजाब राज्य

(2017 की आपराधिक अपील No.408)

26 सितंबर, 2018

[रंजन गोगोई, नवीन सिन्हा और के. एम. जोसेफ, जे. जे.]

उसकी शादी के सात साल के भीतर एक नदी में डूबना-ट्रायल कोर्ट ने अपीलार्थी यू/को दोषी ठहराया s.304-बी आई. पी. सी.-उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई दोषसिद्धि, हालांकि, इसने सजा को 8 साल के कठोर कारावास से घटाकर 7 साल की अवधि कर दिया-अपीलार्थी ने तर्क दिया कि न तो क्रूरता थी और न ही दहेज की कोई मांग की गई थी। अपील की गईः उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक अपील में यू/आर्ट। 136 , न्यायालय व्यापक रूप से साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं करेगा, विशेष रूप से जब इसे समवर्ती रूप से स्वीकार कर लिया गया हो।

उच्च न्यायालय और नीचे के न्यायालय-सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के लिए

अदालत में कुछ और दिखाया जाना चाहिए जैसे कि मुकदमे में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन, कानून या प्रक्रिया की त्रुटि, रिकॉर्ड की त्रुटियों या साक्ष्य को गलत तरीके से पढ़ना, साक्ष्य में स्पष्ट विसंगतियों पर विचार न करना जो अभियोजन मामले को ध्वस्त करते हैं या जहां उच्च न्यायालय का निष्कर्ष स्पष्ट रूप से विकृत है।

और असमर्थनीय और इसी तरह-तत्काल मामले में, दहेज उत्पीड़न के संबंध में पीडब्लू-1 और पीडब्लू-3 की गवाही के रूप में सामग्री है-16.02.2001 पर, पीडब्लू-1 ने कहा कि अपीलार्थी की पत्नी ने एक पीसीओ से उससे संपर्क किया और उसे सूचित किया कि अपीलार्थी सहित सभी आरोपी उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे-उसी तारीख को, पीडब्लू-3 ने कहा कि अपीलार्थी की पत्नी ने उससे मुलाकात की थी और सूचित किया था कि

इसके अलावा, पीडब्लू-5 ने बयान दिया कि उसने पीसीओ में 16.02.2001 पर अपीलार्थी की पत्नी को देखा, हालांकि वह उसे सुन नहीं सका लेकिन उसे रोते हुए देखा-पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर ने कहा कि मृत्यु 16.02.2001/17.02.2001 पर हुई थी - इसलिए, कानून यू/एस का आदेश देता है। 113 - साक्ष्य अधिनियम के बी में यह अनुमान लगाया गया है कि अभियुक्त ने दहेज हत्या की है-निचली अदालत द्वारा लिया गया और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए दृष्टिकोण को ऐसा नहीं कहा जा सकता है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्पष्ट रूप से विकृत-इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप उचित नहीं होगा-दंड संहिता, 1860 - s.304-B-साक्ष्य अधिनियम, 1872-s। 113 - बी.

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1. क्या साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी के अर्थ के भीतर अदालत के लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई सामग्री है कि मृत्यु से कुछ समय पहले, मृतक के साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया था या दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में परेशान किया गया था। इस संबंध में यहाँ पीडब्लू1 और पीडब्लू3 की गवाही के रूप में एक सामग्री है। अभियुक्त अपीलार्थी और मृतक के बीच विवाह 24.1.1998 पर हुआ और यह केवल तीन (3) वर्षों से थोड़ा अधिक समय तक चला। यह 16.2.2001 पर है कि मृतक PW3 के घर जाता है, उसकी बड़ी बहन ने 5 से 7 मिनट बिताए, उक्त गवाह के अनुसार, आरोपी द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न की शिकायत की और उसकी अपनी बेटी उसके साथ थी। उसी दिन, वह पी. सी. ओ. के पास जाती है, अपने पिता पी. डब्ल्यू. 1 को फोन करती है और उसे उत्पीड़न के बारे में बताती है। पीडब्लू4 व्यक्ति

यह अनुमान कि अभियुक्त ने दहेज हत्या को अंजाम दिया है। [पैरा 26] [424-ई-एच; 425-ए-बी] 2. निस्संदेह, साक्ष्य प्रस्तुत करके और उल्टा आरोप लगाते हुए अभियुक्त के हाथों इस धारणा का खंडन किया जा सकता है।

बोझ। अगला सवाल यह है कि क्या उल्टा बोझ के साथ निर्वहन में ऐसा कोई सबूत सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है और क्या इस पर विचार किया गया है। विचारण न्यायालय के निर्णय से पता चलेगा कि वास्तव में विषय-वस्तु का एक संदर्भ है

पीडब्लू5, पीडब्लू6 और पीडब्लू8 का निक्षेपण। [पैरा 27] [425-बी-सी] जग्जीत सिंह बनाम।

3. अनुच्छेद 136 के तहत शक्ति, मामलों के संबंध में सभी सीमाओं को पार करती है, सिवाय इसके कि जहां यह स्पष्ट रूप से है।

संविधान, जिन सिद्धांतों का हमने उल्लेख किया है, वे अलग हैं। इस अपील के तथ्यों के अनुरूप, सिद्धांत हैंः 1. नीचे दिए गए न्यायालयों में गवाहों की विश्वसनीयता का सामान्य रूप से पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है। 2. क्या सबूतों को गलत तरीके से पढ़ा जा रहा है? 3. क्या साक्ष्य में स्पष्ट विसंगति पर कोई विचार नहीं किया गया है जो अभियोजन पक्ष के मामले को ध्वस्त कर देता है; 4. क्या निष्कर्ष साक्ष्य के साथ असंगत हैं; 5. अदालतें हैं।

साक्ष्य में उल्लेखनीय विशेषताओं की अनदेखी की गई है या साक्ष्य के महत्वपूर्ण टुकड़े पर विचार करने में उनकी विफलता है; 6. क्या अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य विश्वसनीयता और स्वीकार्यता की कसौटी से कम है और इसलिए उस पर कार्रवाई करना असुरक्षित है। [पैरा 28] [425-सी-एफ]

4. पीडब्लू3 ने कहा कि मृतक ने उसे बताया कि 16.2.2001 से एक रात पहले, अपीलार्थी ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था

पिता और जब उसने अपीलार्थी को अपने पिता को गाली देने से रोका, तो उसे और भी अधिक पीटा गया। यदि यह सच है, तो वास्तव में, यह समय के निकट क्रूरता है और इसके तुरंत बाद उसकी मृत्यु के समय के निकट एक कड़ी है। (डॉक्टर ने कहा

लगभग 12 दिन थे)। इसका मतलब है कि दुखद मृत्यु 16 या 17 फरवरी, 2001 को हुई थी। [पैरा 30] [426-बी-डी] 5. ट्रायल कोर्ट ने संभावित संस्करणों पर सावधानीपूर्वक चर्चा की है। जिन प्रश्नों को इस न्यायालय ने परेशान करने वाले के रूप में प्रस्तुत किया, उनमें से अधिकांश उसके दिमाग में मौजूद थे। उच्च न्यायालय ने भी

डी. डब्ल्यू. 6 और डी. डब्ल्यू. 8 सहित बचाव साक्ष्य का उल्लेख किया गया। हालाँकि, ट्रायल कोर्ट बचाव पक्ष के बयान को इस आधार पर खारिज करने में सांत्वना पाता है कि इसे 16.02.2001 पर पीडब्लू3 के घर जाने वाले मृतक के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, और यह विचार रखता है कि वह उससे मिलने वाली आखिरी व्यक्ति होती। यह भी पाया गया है कि मृतक को पीडब्लू 3 द्वारा फोन नहीं किया गया था। निचली अदालत को गवाहों के व्यवहार को देखने का लाभ मिला। यह न्यायालय यह अभिनिर्धारित नहीं कर सकता कि निचली अदालत द्वारा लिया गया दृष्टिकोण, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, [2018] 13 एस. सी. आर. के रूप में समर्थनीय नहीं है।

अभिलेख पर सामग्री द्वारा। यह न्यायालय संभवतः यह अभिनिर्धारित नहीं कर सकता कि न्यायालयों द्वारा लिया गया दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से विकृत है या यह कि यह किसी सबूत पर आधारित नहीं है। भले ही अपीलार्थी द्वारा प्रचार किए गए एक अलग दृष्टिकोण को लेने के लिए राजी किया जाए, यह न्यायालय हस्तक्षेप करने में उचित नहीं होगा। [पैरा 31 और 32] [426-ई-एच; 427-ए]

सरवनभवन और गोविंदस्वामी बनाम। की स्थिति

मद्रास एयर 1966 एससी 1273; एम. एस. टी. दलबीर कौर और

अन्य बनाम। पंजाब राज्य (1976) 4 एससीसी 158: [1977] 1

एस. सी. आर. 280 पर भरोसा किया। -

सुशील अंसल बनाम। केंद्रीय ब्यूरो के माध्यम से राज्य

जाँच (2014) 6 एस. सी. सी. 173: [2014] 9 एससीआर 571;

मेजर सिंह और एक अन्य बनाम। पंजाब राज्य (2015) 5

एस. सी. सी. 201 [2015] 5 एस. सी. आर. 777; राजिंदर सिंह बनाम। राज्य

पंजाब (2015) 6 एस. सी. सी. 477: [2015] 2 एससीआर 835;

जी. वी. सिद्धरामेश बनाम कर्नाटक राज्य (2010) 3 एससीसी

152 [2010] 2 एस. सी. आर. 380; अशोक कुमार बनाम की स्थिति

हरियाणा (2010) 12 एस. सी. सी. 350: [2010] 7 एससीआर 1119

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

उस पर भरोसा करें

ए. आई. आर 1966 एस. सी. 1273

पैरा

7

[1977] 1 एससीआर 280

उस पर भरोसा करें

पैरा

8

[2014] 9 एससीआर 571

पैरा

9

संदर्भित किया गया है

[2015] 5 एससीआर 777

संदर्भित किया गया है

पैरा

10

[2015] 2 एससीआर 835

संदर्भित किया गया है

पैरा

15

[2010] 2 एससीआर 380

संदर्भित किया गया है

पैरा

24

[2010] 7 एससीआर 1119

संदर्भित किया गया है

पैरा

25

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2017 का सं. 408।

चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 27.02.2015 से आपराधिक अपील सं। एस-724 एसबी

2002 से।

जगजीत सिंह बनाम। पंजाब राज्य

डॉ. जे. पी. ढांडा, सुश्री राज रानी ढांडा, विनीत ढांडा, एन. ए. उस्मानी, के. पी. सिंह, गोपी चंद, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सुश्री जसप्रित गोगिया, सुश्री मनदाकिनी सिंह, अधिवक्ता। के लिए

उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

के. एम. जोसेफ, जे. 1. अपील के लिए विशेष अनुमति देने के बाद अपीलकर्ता द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाती है, जिसमें निचली अदालत के फैसले की पुष्टि की जाती है, जिसमें अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 304-बी के तहत दोषी ठहराया जाता है, लेकिन उपरोक्त धारा के तहत सजा को 8 साल के कठोर कारावास से घटाकर 7 साल की अवधि कर दिया जाता है। अपीलार्थी, जिस पर उसके माता-पिता और दो भाइयों के साथ मुकदमा चलाया गया था, उसे निचली अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत आरोप से बरी कर दिया था। धारा के तहत उसकी दोषसिद्धि को देखते हुए

304 - बी आई. पी. सी., ट्रायल कोर्ट ने अलग से रिकॉर्ड करना आवश्यक नहीं पाया

आई. पी. सी. की धारा 498-ए के तहत दोषसिद्धि।

2. हमने अपीलार्थी के विद्वान वकील डॉ. जे. पी. ढांडा को सुना।

और सुश्री जसप्रित गोगिया, प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील-राज्य।

3. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी और उसकी मृत पत्नी के बीच शादी 24 जनवरी, 1998 को हुई थी। यह भी विवाद के क्षेत्र में नहीं है कि उनकी शादी के सात साल के भीतर उनकी मृत्यु हो गई। यह निर्विवाद है कि अपीलार्थी की पत्नी की मृत्यु अप्राकृतिक थी और वह अपने बच्चे के साथ नदी में डूबने से मर गई। वास्तव में, पीडब्लू8-एएसआई ने अपने बयान में कहा कि दोनों शवों को एक चुन्नी के साथ सुरक्षित किया गया था। एकमात्र सवाल यह है कि क्या मौत के लिए क्रूरता/उत्पीड़न को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

अपीलार्थी आई. पी. सी. की धारा 304-बी के तहत दहेज की मांग से उत्पन्न होता है।

4. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने बताया कि न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दिए गए साक्ष्य पर विचार नहीं किया और न ही क्रूरता।

न ही दहेज की कोई मांग की जाती है। यह तर्क दिया जाता है कि अपीलार्थी की पत्नी ने स्पष्ट रूप से अपनी बेटी के साथ अपनी जान ले ली क्योंकि उसे पी. डब्ल्यू. 3 द्वारा लगातार ताना मारा गया था-अपीलार्थी की पत्नी की बहन, जिसकी शादी एक उद्योगपति से हुई थी। अपीलार्थी प्रति माह Rs.3000/- की राशि अर्जित कर रहा था। हालाँकि, इसके बावजूद, अपीलार्थी ने मृतक पत्नी की शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा को पूरा करके उसकी देखभाल की थी और वह वास्तव में अपना पद [2018] 13 एस. सी. आर. कर रही थी।

पत्नी। 5. राज्य के विद्वान वकील ने बताया कि डी. डब्ल्यू. 6 और डी. डब्ल्यू. 8 के साक्ष्य पर कोई निर्भरता नहीं रखी जानी चाहिए। वे पड़ोसी थे। अपीलार्थी के मामले का समर्थन करने वाले उनके साक्ष्य को अपने पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने की उनकी आवश्यकता से पैदा हुआ माना जाना चाहिए। इस बारे में कि घर की चार दीवारों के भीतर क्या हुआ, वह सवाल करती थी कि वे अदालत के समक्ष कैसे गवाही दे सकते हैं। वह।

इस विचार से सीमित है कि यह न्यायालय विशेष अनुमति देने के आधार पर अपील पर विचार कर रहा है। 7. हम सरवनभवन और गोविंदस्वामी बनाम मद्रास राज्य आकाशवाणी में व्यक्त किए गए बहुमत के विचारों का लाभ उठा सकते हैं।

1966 एससी 1273, जो इस प्रकार हैः

" 7. यह संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत एक अपील है और हम पहले यह बताएँगे कि इस तरह की अपील में यह न्यायालय सामान्य रूप से क्या विचार करेगा। यह नहीं भूलना चाहिए कि इस न्यायालय का सामान्य

आपराधिक मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार में निर्धारित सीमा तक है

संविधान का अनुच्छेद 134। उस अनुच्छेद में कुछ अपीलें अधिकार के रूप में उपलब्ध हैं और अन्य उच्च न्यायालय द्वारा विशेष प्रमाण पत्र दिए जाने पर होती हैं। यह अपील किसी भी वर्ग की नहीं है। यह सही नहीं है और उच्च न्यायालय द्वारा कोई विशेष प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। हमारे अधिकार क्षेत्र में "अपील का कोई पवित्र अधिकार" नहीं है जैसा कि फ्रांसीसी कनाडाई कानून मानता है (मॉन्ट्रियल बनाम मेयर आदि देखें। ब्राउन, (1876) 2 एसी 168 (184)। एक बार निर्णय लेने के बाद जग्जीत सिंह बनाम।

उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया, जो अंतिम है जब तक कि अपील की अनुमति नहीं दी जाती है इस न्यायालय की विशेष अनुमति से। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस अदालत ने मंजूरी दे दी है।

अपीलार्थियों को विशेष अनुमति लेकिन सवाल एक है

जिन सिद्धांतों का यह न्यायालय आम तौर पर पालन करेगा

बड़े पैमाने पर साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन न करें, विशेष रूप से, जब यह किया गया है उच्च न्यायालय और न्यायालय या न्यायालयों द्वारा समवर्ती रूप से स्वीकार किया गया

नीचे। दूसरे शब्दों में यह न्यायालय एक नई राय नहीं बनाता है अभियुक्त की निर्दोषता या अपराध के लिए। यह स्वीकार करता है कि

उच्च न्यायालय और न्यायालय या न्यायालयों में साक्ष्य का मूल्यांकन

नीचे। इसलिए, इस न्यायालय के समक्ष कुछ और हस्तक्षेप करता है

यह दिखाया जाना चाहिए, जैसे कि मुकदमे में उल्लंघन हुआ है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों या अधिकारों से वंचित

आपराधिक मामलों में अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए सिद्धांत, जिसे यह न्यायालय विशेष अनुमति प्रदान करके अपने सामने लाता है। ”

(जोर दिया गया)

8. एमएसटी में। दलबीर कौर और अन्य बनाम पंजाब राज्य 1976

सी. सी. 158, दो विद्वान न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नानुसार निर्धारित कियाः

" 3. जिन सिद्धांतों पर इसके द्वारा विशेष अवकाश दिया जाता है

न्यायालय, उसी को स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से एक में स्पष्ट किया गया है

इस न्यायालय के कई निर्णय। यह बताया गया है

कि सर्वोच्च न्यायालय आपराधिक अपील का एक सामान्य न्यायालय नहीं है

विशेष मामले जहां न्यायालय संतुष्ट है कि उच्च न्यायालय ने कानून या प्रक्रिया की एक त्रुटि की जिसके परिणामस्वरूप

उच्च न्यायालय के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करना और ट्रायल कोर्ट। यह भी इस न्यायालय द्वारा अधिक इंगित किया गया है

एक बार जब यह इस न्यायालय के प्रांत में पुनर्मूल्यांकन करने के लिए नहीं है

साक्ष्य और गवाहों की विश्वसनीयता के सवाल में जाना पक्षों द्वारा जांच की जाती है, विशेष रूप से जब नीचे दी गई अदालतों में [2018] 13 एस. सी. आर. होते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत इन सभी तर्कों का स्पष्ट उत्तर यह है कि यह न्यायालय कोई साधारण न्यायालय नहीं है। आपराधिक अपील का न्यायालय और आम तौर पर तथ्यों को फिर से खोलने की अनुमति नहीं देगा, विशेष रूप से जब दो अदालतें उनके संबंध में अपने निष्कर्ष पर सहमत होती हैं और जब तथ्य के निष्कर्ष जिन्हें चुनौती दी जाती है, उन गवाहों की विश्वसनीयता पर निर्भर होते हैं जिन पर ट्रायल कोर्ट द्वारा विश्वास किया गया है।

उन्हें देखने और उनके साक्ष्य को सुनने का लाभ।

अपील पर बहस करते हुए, श्री सेठी इस धारणा पर आगे बढ़े कि एक बार विशेष अनुमति द्वारा अपील स्वीकार कर लिए जाने के बाद, पूरा मामला बड़े पैमाने पर था और अपीलार्थी तथ्य के सभी निष्कर्षों को चुनौती देने और उच्च न्यायालय या निचली अदालत में उठाए जा सकने वाले हर मुद्दे को उठाने के लिए स्वतंत्र था। हमारी राय में यह धारणा पूरी तरह से अनुचित है।

प्रिवी काउंसिल द्वारा निर्धारित नियम ध्वनि पर आधारित है।

सिद्धांत, और, हमारी राय में, अपील की अंतिम सुनवाई में केवल उन बिंदुओं का आग्रह किया जा सकता है जिन पर आग्रह किया जाना उचित है प्रारंभिक चरण में जब अपील करने की अनुमति मांगी जाती है, और एक ही मामले के दो अलग-अलग चरणों में अलग-अलग मानकों को अपनाना अतार्किक होगा।

के साथ अनुच्छेद 136 की सावधानीपूर्वक जांच पर

अनुच्छेद के पूर्व में, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिस व्यापक विवेकाधीन शक्ति के साथ इस न्यायालय को इसके तहत निवेश किया गया है, उसका प्रयोग संयम से और केवल अपवादात्मक मामलों में किया जाना है। सामान्य तौर पर, यह न्यायालय विशेष अनुमति तब तक नहीं देगा, जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि असाधारण और विशेष परिस्थितियाँ जगजीत सिंह बनाम।

यह मौजूद है कि पर्याप्त और गंभीर अन्याय किया गया है और यह कि विचाराधीन मामला उस निर्णय की समीक्षा के लिए पर्याप्त गंभीरता की विशेषताओं को प्रस्तुत करता है जिसके खिलाफ अपील की गई है।

इस निर्णय का विश्लेषण करते हुए, इस न्यायालय द्वारा दो सिद्धांत स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए प्रतीत होते हैं:

" (1) कि निम्न न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों के खिलाफ विशेष अनुमति द्वारा अपील में, यह न्यायालय साक्ष्य की विश्वसनीयता में नहीं जाएगा और केवल तभी हस्तक्षेप करेगा जब असाधारण और विशेष परिस्थितियां मौजूद हों जिनके परिणामस्वरूप

अभियुक्त के साथ पर्याप्त और गंभीर अन्याय किया गया है; और

(2) कि न्यायालय आम तौर पर पुनर्मूल्यांकन नहीं करेगा या साक्ष्य की समीक्षा, जब तक कि उच्च न्यायालय का मूल्यांकन कानून या प्रक्रिया की त्रुटि से दूषित न हो या रिकॉर्ड की त्रुटि, साक्ष्य के गलत पढ़ने पर आधारित न हो या साक्ष्य के साथ असंगत न हो।

उदाहरण के लिए, जहां नेत्र साक्ष्य चिकित्सा साक्ष्य आदि के साथ पूरी तरह से असंगत है;

(3) कि न्यायालय उच्च न्यायालय की राय के स्थान पर अपनी राय रखने की दृष्टि से साक्ष्य की विश्वसनीयता में प्रवेश नहीं करेगा;

(4) कि न्यायालय हस्तक्षेप करेगा जहाँ उच्च न्यायालय न्यायिक प्रक्रिया की अवहेलना करते हुए तथ्य के निष्कर्ष पर पहुँच गया है,

प्राकृतिक न्याय या निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत या कानून या प्रक्रिया के अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन करते हुए कार्य किया है जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह या अन्याय हुआ है; [2018] 13 एस. सी. आर.

इस न्यायालय के अधिकारियों ने ऊपर उद्धृत पर्याप्त दिशानिर्देश प्रदान किए हैं इस न्यायालय के लिए विशेष अनुमति द्वारा आपराधिक अपीलों पर निर्णय लेना। इस प्रकार

विशेष अनुमति द्वारा एक आपराधिक अपील, सुनवाई में यह न्यायालय

उच्च न्यायालय के साक्ष्य और निर्णय की जांच करता है

यह निर्धारित करने का सीमित उद्देश्य कि उच्च न्यायालय है या नहीं

ऊपर बताए गए सिद्धांतों का पालन किया है। जहाँ न्यायालय पता चलता है कि उच्च न्यायालय ने कोई उल्लंघन नहीं किया है

इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विभिन्न सिद्धांतों और एक सही बनाया है

दृष्टिकोण और में हड़ताली विशेषताओं को नजरअंदाज या अनदेखा नहीं किया है

सबूत जो अभियोजन मामले को ध्वस्त करते हैं, के निष्कर्ष

इस तथ्य पर उच्च न्यायालय ने सराहना की

मामले की परिस्थितियों में साक्ष्य को बाधित नहीं किया जाएगा।

(जोर दिया गया)

9. हम इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भी ध्यान दे सकते हैं।

' एल अंसल वी। केंद्रीय जांच ब्यूरो 2014 सी. सी. 173 के माध्यम से राज्य। इसमें, टी. एस. ठाकुर द्वारा दिए गए निर्णय में, जे. एस. लॉर्डशिप तब था, यह अन्य बातों के साथ-साथ पैरा 55 में इस प्रकार हैः

“ 55. ..... निष्कर्षों में विकृति, अवैधता या अनियमितता

मुकदमा जिसके परिणामस्वरूप अन्याय या विचार करने में विफलता होती है

साक्ष्य का महत्वपूर्ण अंश कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनमें

यह न्यायालय मुकदमे में प्रस्तुत साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है लेकिन अन्यथा नहीं "।

(जोर दिया गया)

10. हम अंत में इस मामले में इस न्यायालय के एक हालिया फैसले पर ध्यान देते हैं

1. अली उर्फ गुड्डू बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य 2015 (7) एस. सी. सी. 272 और न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 17. गंगा कुमार श्रीवास्तव बनाम। बिहार राज्य, (2005) 6

एससीसी 211: 2005 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1424, न्यायालय ने एक इस न्यायालय की शक्ति के प्रयोग पर निर्णयों की श्रृंखला

संविधान के अनुच्छेद 136 में निम्नलिखित सिद्धांतों को शामिल किया गया हैः

(एस. सी. सी पी. 217, पैरा 10)

" (i) संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय की शक्तियां

संविधान बहुत व्यापक है लेकिन आपराधिक अपीलों में यह न्यायालय ऐसा करता है तथ्य को छोड़कर समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप न करें

असाधारण परिस्थितियाँ।

((ii) इस न्यायालय के लिए तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है।

उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है, यदि उच्च न्यायालय ने विकृत रूप से कार्य किया है या अन्यथा अनुचित रूप से।

(iii) यह न्यायालय के लिए अनुच्छेद 136 के तहत शक्ति का उपयोग करने के लिए खुला है।

केवल बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में जब कोई प्रश्न हो

सामान्य सार्वजनिक महत्व का कानून उत्पन्न होता है या कोई निर्णय झटका देता है न्यायालय की अंतरात्मा।

((iv) जब अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की कमी हो गई

उस पर कार्रवाई करना असुरक्षित है। (v) जहां साक्ष्य और निष्कर्ष की सराहना को दूषित किया जाता है

प्रक्रिया के कानून की कोई त्रुटि या सिद्धांतों के विपरीत पाई गई

प्राकृतिक न्याय, अभिलेख की त्रुटियाँ और साक्ष्य का गलत अध्ययन, या जहाँ उच्च न्यायालय के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से हैं

अभिलेख पर साक्ष्य से विकृत और असमर्थनीय। "

(जोर दिया गया)

11. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि

मेजर सिंह और अन्य के मामले में इस न्यायालय का निर्णय

पंजाब ने 2015 (5) एस. सी. सी. 201 में रिपोर्ट किया। यह एक मामला था

प्राकृतिक मृत्यु। उसमें अभियोजन पक्ष के गवाह, शिकायतकर्ता

आर और मृतक के भाई ने बयान दिया कि उन्होंने आरोपी को घर के अंदर के कमरे की ओर जाते देखा और कहा कि वह

रोते हुए और गवाहों को देखकर चारों आरोपी भाग गए

और मृतक ने अंतिम सांस ली। पिता ने बात की थी

इसकी जानकारी उन्होंने ग्राम पंचायत को दी थी। अदालत ने

अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार लिखा गया हैः

" 10. आई. पी. सी. की धारा 304-बी के तहत दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए,

((i) महिला की मृत्यु जलने या शारीरिक कारण से होनी चाहिए। चोट या अन्यथा एक 'सामान्य परिस्थिति' के तहत; [2018] 13 एस. सी. आर.

((ii) ऐसी मृत्यु उसके सात साल के भीतर हुई होनी चाहिए थी।

विवाह;

((iii) उसे क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा होगा।

पति या उसके पति का कोई रिश्तेदार;

((iv) ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न उसके लिए या उसके संबंध में होना चाहिए।

दहेज की मांग के साथ; और (v) इस तरह की क्रूरता या उत्पीड़न महिला की मृत्यु से तुरंत पहले किया गया था।

न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में भी निर्णय दिया:

" 14. अभियोजन पक्ष ने किसी भी स्वतंत्र गवाह या पंचायतदारों से यह साबित करने के लिए पूछताछ नहीं की है कि दहेज की मांग की गई थी और मृतक के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। आम तौर पर, विवाहित महिला के खिलाफ अपराध घर के चारों कोनों के भीतर किए जा रहे हैं और आम तौर पर महिला पर उसके पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न के बारे में प्रत्यक्ष सबूत उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन जब पीडब्लू-3 विशेष रूप से है

कहा कि अभियुक्त द्वारा दहेज की मांग की सूचना पंचायतदारों को दी गई और पंचायत को गाँव ले जाया गया

बडियाला, उसके पति या रिश्तेदारों द्वारा कर्मजीत कौर के साथ कथित दुर्व्यवहार या क्रूरता को साबित किया जा सकता था पंचायतदारों की जाँच। तथ्य यह है कि मृतक

के संबंध में उत्पीड़न या क्रूरता के अधीन था

दहेज की मांग अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं की जाती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि नीचे दी गई दोनों अदालतों ने आईपीसी की धारा 498-ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया है। ”

12. हमने देखा कि यह एक ऐसा मामला था जिसमें अदालतों ने आईपीसी की धारा 498-ए के तहत अपराध के लिए अभियुक्तों को बरी कर दिया था। टी ने नोट किया कि अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि ईआर की मांग है और अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित रूप में आयोजित करने के लिए आगे बढ़ा:

" 18. तत्काल मामले में इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, हम पाते हैं कि दहेज या क्रूरता की मांग के बारे में कोई सबूत नहीं है और मृतक करमजीत कौर को दहेज दिया गया था "उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले" उत्पीड़न। स्कूटर की मांग के अलावा, दहेज की मांग के आरोप को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है। यह मानते हुए कि दहेज की मांग की गई थी, जग्जीत सिंह बनाम में।

हमारा विचार है कि इसका श्रेय केवल पति जगसीर सिंह को दिया जा सकता है जो

पूरी संभावना है कि उसके उपयोग के लिए भी यही मांग की जा सकती थी। में

इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मृतक का इलाज किया गया था

दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न

" उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले "अपीलार्थियों द्वारा,

आई. पी. सी. की धारा 304-बी के तहत अपीलकर्ताओं को कायम नहीं रखा जा सकता है। द.

आई. पी. सी. की धारा 304-बी के आवश्यक अवयवों का प्रकाश और आई. पी. सी. की धारा 304-बी के तहत अपीलार्थियों को दोषी ठहराना उत्तरदायी है -

अलग रखा जाए। ”

(जोर दिया गया)

13. इस संबंध में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपीलकर्ताओं ने

कहा गया मामला पति का नहीं था, बल्कि वे मृतक के सास-ससुर थे।

14. हम पहले ही देख चुके हैं कि आवश्यक सामग्री

धारा 304-बी आई. पी. सी. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा मेजर सिंह और एक अन्य बनाम पंजाब राज्य (ऊपर) में देखा गया है। संसद ने साक्ष्य अधिनियम में धारा 113-बी जोड़ी है। ताकि वहाँ की धारणा को लागू किया जा सके, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि ऐसी महिला को उसकी मृत्यु से तुरंत पहले, ऐसे व्यक्ति द्वारा दहेज की किसी भी मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना चाहिए था। इस तथ्य के स्थापित होने पर, निस्संदेह, अदालत को यह मानने के लिए अनिवार्य किया जाता है कि व्यक्ति ने वास्तव में दहेज मृत्यु का कारण बना है जैसा कि आई. पी. सी. की धारा 304-बी में विचार किया गया है।

इसलिए, यह धारणा तब तक लागू नहीं हो सकती जब तक कि यह स्थापित नहीं हो जाता है कि किसी महिला को उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले दहेज की किसी भी मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा है। उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले के शब्दों पर भी बड़ी संख्या में विचार किया गया है।

मामले।

15. हमें केवल एक द्वारा दिए गए हाल के फैसले का विज्ञापन करने की आवश्यकता है

राजिंदर सिंह बनाम मामले में तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ। पंजाब राज्य ने 2015 (6) एस. सी. सी. 477 में केवल निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए रिपोर्ट कियाः

आई. पी. सी. की धारा 304-बी में आने वाले "जल्द ही पहले" शब्दों की सराहना करना। अदालत को यही देखना है

" 24. हम इन दोनों फैसलों द्वारा कही गई बातों का समर्थन करते हैं।

दिन या महीने वह नहीं हैं जो देखा जाना चाहिए। क्या वहन करना होगा दिमाग में यह है कि "जल्द" शब्द का अर्थ "तत्काल" नहीं है।

जिस बुराई के कारण धारा 304-बी का अधिनियमन हुआ है, उससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह अभिव्यक्ति एक सापेक्ष अभिव्यक्ति है। समय-अंतराल हो सकता है मामला-दर-मामला अलग-अलग होता है। केवल इतना आवश्यक है कि दहेज की मांग बासी नहीं होनी चाहिए, बल्कि धारा 304-बी के तहत विवाहित महिला की मृत्यु का निरंतर कारण होनी चाहिए।

16. कानून के उपरोक्त बयानों को ध्यान में रखते हुए, हम अपील पर विचार करना शुरू करते हैं। अभियोजन पक्ष का मामला

पीडब्लू1 शिकायतकर्ता के माध्यम से पेश किया गया-मोहिंदर सिंह, मृतक के पिता इस प्रकार हैंः - मृतक की शादी 24 जनवरी, 1998 को हुई थी और उसने शादी में अपनी क्षमता से अधिक दहेज दिया था। शादी के कुछ समय बाद सभी पांचों अभियुक्तों ने लड़की को पीटना शुरू कर दिया।

मृतक। उन्होंने उसे ताना मारना शुरू कर दिया कि वह मामूली दहेज लाई थी

और यह कि उसके माता-पिता ने शादी में एक मारुति कार नहीं दी थी, जिसके कारण वे अपने पड़ोस में अपमानित महसूस कर रहे थे। मृतक ने शिकायतकर्ता को फोन पर इस तथ्य से अवगत कराया। मृत्यु के समय बेटी की आयु लगभग डेढ़ वर्ष थी। दिसंबर 2000 में, मृतक अपनी बहन के साथ अमाओ फार्म, पीएस खतीमा में अपने माता-पिता से मिलने गई थी। उसने शिकायतकर्ता को सूचित किया कि उसके ससुराल वालों द्वारा उसका उत्पीड़न किया जा रहा था। उसने उसे यह भी बताया कि आरोपी ने उसे धमकी दी थी कि वह अपने वैवाहिक घर तभी लौट सकती है जब वह मारुति कार खरीदने के लिए अपने माता-पिता से 2 लाख रुपये की राशि लाएगी। शिकायतकर्ता ने तब Rs.30,000/- के लिए एक सावधि जमा रसीद तैयार की और उसे मृतक को सौंप दिया। द. शिकायतकर्ता ने उस समय आरोपी जगजीत सिंह को फोन पर यह भी बताया कि वह फसलों की बिक्री के बाद लुधियाना जाएगा और आरोपी को उनके द्वारा मांगे गए 2 लाख रुपये का भुगतान करेगा। उन्होंने उनसे मृतक को परेशान नहीं करने का भी अनुरोध किया। हालांकि, तब भी

अभियुक्तों ने मृतक को पीटा और उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद मृतक पत्नी अवतार सिंह (के भतीजे) के घर गई।

शिकायतकर्ता), और वह उसे आरोपी के घर ले गया और उन्हें Rs.2000/- का भुगतान भी किया और उससे मृतक के साथ अच्छा व्यवहार करने का अनुरोध किया। 16 फरवरी, 2001 को लगभग 11 बजेः 30 ए. एम. मृतक ने पी. सी. ओ. से शिकायतकर्ता को एक टेलीफोन कॉल किया कि सभी पाँच आरोपी उसे व्यापक उत्पीड़न के अधीन कर रहे थे और वह महसूस कर रही थी अवसादग्रस्त ने उसे यह भी बताया कि उस तारीख को भी आरोपी ने उसे पीटा था और उसे और उसकी बेटी को वैवाहिक घर से बाहर निकाल दिया था। उसने उसे यह भी बताया कि वह यह टेलीफोन जगजीत सिंह वी बना रही थी।

पी. सी. ओ. से कॉल करें। शिकायतकर्ता ने मृतक को सांत्वना दी और उसे बताया कि वह लुधियाना आ रहा है और उसे उसके पास लौटने की सलाह दी। वैवाहिक घर। यह भी कहा गया है कि संपर्क किए जाने पर उनके भतीजे

उन्हें बताया कि आरोपी और उसकी मां शाम को अवतार सिंह के घर गए और उससे और उसके अन्य रिश्तेदारों से मृतक के बारे में पूछताछ की। आरोप है कि अवतार सिंह ने बताया कि वे उनसे मिलने नहीं गए थे और न ही उन्हें उनके बारे में कोई जानकारी थी। यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि शिकायतकर्ता ने 17.02.2001 पर प्राथमिकी दर्ज की।

17. मृतक के पिता पीडब्लू1 अन्य बातों के साथ इस प्रकार कहते हैं:

अपीलार्थी और उसकी बेटी (मृतक) के बीच शादी 24.1.1998 पर हुई थी। शादी की एक अच्छी अवधि के बाद सभी

दिसंबर 2000 में असामयिक मृत्यु होने से दो महीने पहले मृतक अपने घर गई थी। वह बताता है कि उसकी बेटी पीडब्लू 3 (एक और बेटी) के साथ उसके खेत में आई थी। वह बताता है कि उसकी बेटी ने उसे बताया कि सभी आरोपी परेशान कर रहे थे और कार खरीदने के लिए मारुति कार या दो लाख रुपये की मांग कर रहे थे। मृतक बेटी ने उसे बताया कि आरोपी ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और वह उसके ससुराल नहीं जाएगी क्योंकि वे उसे पीटते थे और आगे (यह ध्यान दिया जा सकता है कि कोई आरोप नहीं है कि आरोपी अपीलार्थी उसे पीटता था) उसने गवाही दी कि उसने उससे कहा कि वे उसे मार देंगे। उनका कहना है कि उनके भाई राम सिंह और बेटी पीडब्लू 3 मौजूद थे। वह आगे कहते हैं कि वह अपनी बेटी को सांत्वना देने के बाद उसके ससुराल भेज देता है। इसके अलावा उन्हें Rs.30,000/- (केवल तीस हजार रुपये) के लिए एक FDR दिया गया था। उसने आरोपी को अपनी बेटी के साथ दुर्व्यवहार न करने के लिए फोन किया और उसने फसल बेचने के बाद दो लाख रुपये देने का वादा किया। इसके बाद वह कहता है कि सभी अभियुक्तों ने फिर से पिटाई शुरू कर दी और उसकी बेटी को उसके भतीजे अवतार सिंह के घर भेज दिया। अवतार सिंह ने कथित तौर पर यह बात अपने संज्ञान में लाई और आरोपी को दो लाख रुपये दिए। पीडब्लू1 का कहना है कि दुर्व्यवहार, हालांकि, जारी रहा। इसके बाद, वह एक घटना के बारे में बताता है जो 16.2.2001 पर है, मृतक बेटी ने उसे एक पी. सी. ओ. से फोन किया। उसने बताया कि सभी आरोपी दुर्व्यवहार कर रहे थे और वह बहुत परेशान थी और आरोपी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और वह

आरोपी ने उससे कहा कि आरोपी उसे मारुति कार के बिना नहीं जाने देगा। प्रतिपरीक्षा में, पीडब्लू1 ने कहा कि मृतक बेटी बी. ए. भाग-1 की परीक्षा की तैयारी कर रही थी जो वह एक निजी उम्मीदवार के रूप में कर रही थी और उसने शादी के बाद स्नातक की पढ़ाई की। उसका वैवाहिक घर। वह यह भी बताता है कि उसकी मृत्यु के समय, वह एम. ए. परीक्षा की तैयारी कर रही थी। उन्होंने दावा किया है कि

प्रवेश शुल्क के रूप में Rs.935/- का भुगतान, जो अभियुक्त-अपीलार्थी के अनुसार, उसके पिता द्वारा भुगतान किया गया था, लेकिन वह स्वीकार करता है कि बैंक

Rs.935/- का मसौदा अपीलार्थी के पिता द्वारा तैयार किया गया था। उनका कहना है कि उन्हें नहीं पता कि अपीलार्थी टर्नर के रूप में काम कर रहा था या नहीं। वह कहता है कि वह काम कर रहा होगा लेकिन वह नहीं जानता कि वह प्रति माह Rs.2000/- या Rs.2500/- कमा रहा है। वह इकबाल सिंह (अपीलार्थी के पिता) की बेटी के 'देवर' के विवाह के संबंध में अपनी मृत बेटी की तस्वीर को स्वीकार करता है। वह स्वीकार करता है कि उसकी दूसरी बेटी (पीडब्लू 3) की शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई है जिसका अपना उद्योग है जिसे उसके दामाद, उसके भाई और पिता चला रहे हैं। वह स्वीकार करता है कि न तो उसका भाई जो वकील है और न ही बहन का बेटा।

जो बी. पी. ओ. कार्यालय, लुधियाना में अधीक्षक प्रतीत होता है, उसने उत्पीड़न के बारे में पुलिस स्टेशन या कहीं और कोई रिपोर्ट दी। वह. उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने इस संबंध में कोई पंचायत नहीं बुलाई। उन्होंने इस सुझाव का खंडन किया है कि वह अपनी मृत बेटी को सास-ससुर से अलग होने के लिए कहते थे। वह अपने द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर इस सुझाव (जाहिरा तौर पर कि उसकी बेटी ने उसकी जान ले ली) से इनकार करता है।

उसकी बेटी। कि सभी पाँच (5) आरोपी उसे पीटते थे और उसने उसे बताया कि जब वह अपने पति को अपने पिता को गाली देने से रोकती थी, तो अपीलार्थी उसे और पीटता था। वह विशेष रूप से कहती है कि जब अपीलार्थी भोजन करने गया, उसकी बेटी ने भी जग्जीत सिंह के साथ भोजन करना शुरू कर दिया।

उसे और फिर अपीलार्थी ने उसे थप्पड़ मार दिया। मृतक ने उसे यह भी बताया कि जब उसने विरोध किया तो बलवंत सिंह (अपीलार्थी का भाई) ने भी उसे पीटा और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। इसके बाद वह एक पी. सी. ओ. के पास जाती है और फोन करती है जिसके बारे में पी. डब्ल्यू. 1 ने बात की है। वह कहती है कि अपीलार्थी का माँ मृतक के बारे में पूछताछ करने के लिए अपने घर आई और उसने उसे बताया कि मृतक अवसाद में था और पी. सी. ओ. को फोन करने गया है और उसे उसे घर ले जाना चाहिए। अपीलार्थी की माँ ने उससे कहा कि वह स्वयं घर लौट आएगी।

19. अपनी प्रतिपरीक्षा में वह इस प्रकार बताती हैः

उनके पति और ससुर अपना उद्योग चला रहे हैं।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह कहती है कि यह सही है कि आरोपी की स्थिति उसके ससुराल वालों की तुलना में कम थी। उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था कि उन्होंने औद्योगिक कनेक्शन के लिए आवेदन किया था और वे अपना उद्योग शुरू करेंगे। वह मानती है कि मृतक ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और अपनी मृत्यु के समय एम. ए. परीक्षा की तैयारी कर रही थी ताकि वह एम. ए. बन सके।

आत्मनिर्भर। वह इस आशय के सुझाव से इनकार करती है कि यह उसकी वित्तीय स्थिति के कारण है कि अपीलार्थी

अपने पति की कंपनी। वह यह भी कहती है कि उसके चाचा, जो एक वकील हैं, को उत्पीड़न के बारे में सूचित किया गया था, लेकिन उन्होंने कभी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई

या उस में मृतक का निपटान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्राथमिकी दर्ज करें।

वैवाहिक घर। वह बताती है कि 16.2.2001 पर मृतक ने उसके साथ लगभग 5-7 मिनट बिताए। वह इस आरोप से इनकार करती है कि उसने मृतक को ताना भी मारा कि उसकी बेटी के जन्म ने दायित्व को और बढ़ा दिया है और इसलिए, मृतक ने आत्महत्या कर ली।

20. इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम देखते हैं कि पी. डब्ल्यू. 5 की जाँच यह दिखाने के लिए की जाती है कि वह पी. सी. ओ. में था जहाँ से मृतक ने 16.2.2001 पर कॉल किया था कि उसने अभी देखा था लेकिन उसकी बात नहीं सुनी थी। वह रो रही थी, गवाह ने गवाही दी। हालाँकि भतीजे, ए. वी. तार सिंह की एक निश्चित भूमिका है, जिसका उल्लेख पी. डब्ल्यू. 1 और पी. डब्ल्यू. 3 दोनों के बयान में किया गया है, लेकिन अभियोजन पक्ष ने उक्त गवाह को आरोपी द्वारा जीते जाने के रूप में छोड़ दिया है। 21. अपीलार्थी के खिलाफ आरोप लगाने के लिए आधार साक्ष्य को स्वीकार करने के बाद, अब हम जांच कर सकते हैं कि बचाव साक्ष्य क्या है। डी. डब्ल्यू. 5 अपीलार्थी के भाई (सरबजीत सिंह) का ससुर है। यह ध्यान दिया जाए कि सरबजीत सिंह भी मुकदमे में आरोपी थे। उनका कहना है कि शादी के 6 साल बाद उनकी बेटी और दामाद माता-पिता से अलग हो गए। उनका कहना है कि उनकी बेटी [2018] 13 एस. सी. आर.

अपने पति के घर में हमेशा खुश रहती थी। उनका कहना है कि पीडब्लू 3 की शादी एक संपन्न परिवार में हुई है। पीडब्लू3 बताती थी कि उसकी शादी एक गरीब परिवार में हुई है। मृतक ने उससे कहा था कि वह उच्च शिक्षा प्राप्त करेगी और खुद को पीडब्लू 3 के स्तर पर लाएगी। एक बेटी के जन्म लेने पर, फिर से पीडब्लू3 ने उसे इस तथ्य की याद दिलाई कि वह है

एक गरीब परिवार में शादी की और उसे अपीलार्थी से छुटकारा पाने के लिए कहा। इस तरह मृतक अवसाद में रहने लगा। उनका कहना है कि

अभियुक्त ने मृतक से कभी दहेज की माँग नहीं की-अपीलार्थी की पत्नी। जिरह में वह कहता कि वह लगभग एक पखवाड़े के बाद अपीलार्थी के घर जाता था।

22. डी. डब्ल्यू. 6 एक पड़ोसी है। उसका घर इकबाल-अपीलार्थी के पिता के घर के ठीक सामने है। उन्होंने कहा है कि आरोपी का परिवार एक अच्छा परिवार है। उन्होंने कभी भी आरोपी को परेशान करते हुए नहीं सुना और न ही देखा।

दहेज की मांग के साथ मृतक। वह इस आरोप से इनकार करता है कि पड़ोसी होने के नाते उसने आरोपी के पक्ष में गवाही देने की कोशिश की। उनका कहना है कि सरबजीत सिंह भी वर्तमान आरोपी के साथ संयुक्त निवासी है।

23. अंत में, डी. डब्ल्यू. 8 की जांच की जाती है। वह कहता है कि वह आरोपी इकबाल (अपीलार्थी के पिता) के परिवार को अच्छी तरह से जानता है। उनका कहना है कि

एक दिन उसे यह बताकर कि पिता रामपुर गाँव में अपनी बहन से मिलने आए थे। उनका कहना है कि मृतक को रहने के दौरान कोई समस्या नहीं थी अभियुक्त के साथ। जिरह में वह बयान देगा कि मृतक उससे कभी-कभी मिलता था। उसे मृतक की शादी की तारीख याद नहीं है। वह मृतक की इस तरफ से या शिकायतकर्ता की तरफ से शादी में शामिल नहीं हुआ।

दोनों तरफ से पीडब्लू 3 की शादी में भी शामिल नहीं हुए (इस संबंध में पीडब्लू 3 मृतक की बड़ी बहन है)। उन्होंने अपदस्थ कर दिया कि पीडब्लू1 अपीलार्थी के घर नहीं गया क्योंकि वे गरीब थे।

24. आई. पी. सी. की धारा 304-बी को साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी के साथ पढ़ने से यह स्थापित होगा कि एक बार जब अभियोजन पक्ष यह दर्शाता है कि पत्नी की मृत्यु से कुछ समय पहले, उसे दहेज की किसी भी मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है, तो अदालत यह मान लेगी कि ऐसा व्यक्ति आई. पी. सी. की धारा 304-बी के अर्थ के भीतर दहेज हत्या का कारण बना। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी में 'मान लिया जाएगा' शब्द, जबकि यह आदेश देता है कि न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ने के लिए कर्तव्यबद्ध है कि व्यक्ति ने दहेज मृत्यु का कारण बना है, यह धारणा खंडन योग्य है और यह रिश्तेदार के लिए यह साबित करने के लिए खुला है कि आई. पी. सी. की धारा 304-बी के तत्व संतुष्ट नहीं हैं। इस संबंध में, के मामले में निहित कानून का निम्नलिखित कथन देखें

जी. वी. सिद्धरामेश बनाम कर्नाटक राज्य 2010 (3) एससीसी 152:

" 26. साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी अभियुक्त के खिलाफ एक धारणा उठाती है और पढ़ती हैः

" 113 - बी. दहेज मृत्यु के बारे में अनुमान-जब सवाल यह है कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी महिला की दहेज मृत्यु को अंजाम दिया है और यह दिखाया जाता है कि उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले ऐसी महिला को ऐसे व्यक्ति द्वारा दहेज की किसी भी मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था, तो अदालत यह मान लेगी कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु का कारण बना था।

स्पष्टीकरण। - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, 'दहेज मृत्यु' का वही अर्थ होगा जो भारतीय संविधान की धारा 304-बी में है।

दंड संहिता (1860 का 45)। ”

ऐसी महिला को दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था, तभी एक अनुमान लगाया जा सकता है
यह इंगित किया जाए कि किसी व्यक्ति ने किसी महिला की दहेज मृत्यु को अंजाम दिया है। यह तब अपीलार्थी पर निर्भर करता है कि वह इसका निर्वहन करे

अनुमान "।

25. हम अशोक कुमार बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले में निहित कानून के बयान पर भी ध्यान दे सकते हैं। हरियाणा राज्य ने 2010 (12) में एस. सी. सी. 350 की सूचना दी जो इस प्रकार हैः

8] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 24. बेशक, कल्पित कल्पना एक खंडन योग्य धारणा पेश करेगी और पति और उसके रिश्तेदार अपने बचाव का नेतृत्व करके और यह साबित करके कि धारा 304-बी के तत्व संतुष्ट नहीं थे, इसका खंडन कर सकते हैं। संहिता की धारा 304-बी के तहत धारणा को उठाने का उल्लेख करते हुए, यह न्यायालय, कलियापेरुमल बनाम। टी. एन. राज्य, (2004) 9 एस. सी. सी. 157: 2004 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1417 ने निम्नलिखित सामग्री बताई जो होनी चाहिए

संतुष्टः (एस. सी. सी पी. 162, पैरा 4)

" (1) अदालत के समक्ष सवाल यह होना चाहिए कि क्या आरोपी ने किसी महिला की दहेज हत्या की है। (यह
इसका मतलब है कि अनुमान केवल तभी उठाया जा सकता है जब आरोपी पर आई. पी. सी. की धारा 304-बी के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा रहा हो।

(2) महिला को उसके पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था।

(3) इस तरह की क्रूरता या उत्पीड़न इसके लिए या इसके संबंध में था

दहेज के लिए कोई भी माँग।
(4) इस तरह की क्रूरता या उत्पीड़न उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले हुआ था।

113 - न्यायालय के लिए साक्ष्य अधिनियम के बी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मृत्यु से कुछ समय पहले, मृतक के साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया था या दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में परेशान किया गया था। इस संबंध में हमने देखा है कि पीडब्लू1 और पीडब्लू3 की गवाही के रूप में एक सामग्री है। अभियुक्त-अपीलार्थी और मृतक के बीच शादी 24.1.1998 पर हुई और यह केवल थोड़े समय के लिए बची। तीन साल। यह 16.2.2001 पर है कि मृतक PW3 के घर जाता है, उसकी बड़ी बहन ने 5 से 7 मिनट बिताए, उक्त गवाह के अनुसार, आरोपी और उसके द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न की शिकायत की।

अपनी बेटी उसके साथ थी। उसी दिन, वह पी. सी. ओ. के पास जाती है, अपने पिता पी. डब्ल्यू. 1 को फोन करती है और उसे उत्पीड़न के बारे में बताती है। पी. सी. ओ. में काम करने वाले व्यक्ति पी. डब्ल्यू. 4 ने यह भी कहा है कि वह रो रही थी और

उसने एक कॉल किया। पीडब्लू1 ने टेलीफोन पर हुई बातचीत की सामग्री के बारे में बात की है, अर्थात् सभी आरोपी उसके साथ दुर्व्यवहार और ताना मार रहे थे और वह बहुत परेशान थी और आरोपी ने उसे बेटी के साथ अपने घर से बाहर निकाल दिया था और उसे मारुति कार या दो लाख रुपये के बिना वापस नहीं आने दिया जाएगा।

उनका मानना है कि (वास्तव में, दो अदालतों में है), यह दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता/उत्पीड़न के बराबर होगा। इसलिए, कानून साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी के तहत यह अनुमान लगाने का आदेश देता है कि आरोपी ने दहेज हत्या की है।

27. निस्संदेह, इस धारणा का खंडन किया जा सकता है

28. अनुच्छेद 136 के तहत शक्ति, मामलों के संबंध में सभी सीमाओं को पार करती है, सिवाय इसके कि इसे स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। हालाँकि, इस तरह की शक्ति में स्व-थोपी गई घुसपैठ के माध्यम से, और संविधान की योजना के प्रति सम्मान के माध्यम से, जिन सिद्धांतों का हमने उल्लेख किया है, वे अलग हैं। इस अपील के तथ्यों के अनुरूप, निम्नलिखित सिद्धांतों को हमें सूचित करना चाहिएः 1. नीचे दिए गए न्यायालयों में गवाहों की विश्वसनीयता का सामान्य रूप से पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

2. क्या सबूतों को गलत तरीके से पढ़ा गया है?

3. क्या साक्ष्य में स्पष्ट विसंगति पर कोई विचार नहीं किया गया है जो अभियोजन पक्ष के मामले को ध्वस्त कर देता है?

4. क्या निष्कर्ष साक्ष्य के साथ असंगत हैं?

5. क्या अदालतों ने साक्ष्य में उल्लेखनीय विशेषताओं की अनदेखी की है या महत्वपूर्ण साक्ष्य पर विचार करने में उनकी विफलता है?

6. क्या अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य विश्वसनीयता और स्वीकार्यता के परीक्षण से कम है और इसलिए कार्रवाई करना असुरक्षित है। उस पर?

29. शादी 24.1.1998 पर हुई थी। पीडब्लू 3 के अनुसार शादी के लगभग 6 महीने बाद दहेज की मांग की गई थी। मांग या तो एक मारुति कार या 2 लाख रुपये की थी। पीडब्लू1 के पिता और पीडब्लू3 बहन के अनुसार शारीरिक क्रूरता थी। दिसंबर, 2000 में मृतक, पीडब्लू1 और पीडब्लू3 दोनों से मिलता है और धमकियों और पिटाई की शिकायत करता है। मृत्यु फरवरी, 2001 में हुई थी।

8] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

30. परेशान करने वाली विशेषताएँ सबूत हैं, जो

यह स्थापित करता है कि अपीलार्थी के पिता ने मृतक की निरंतर उच्च शिक्षा में योगदान दिया। क्या यह उसकी बहू के साथ क्रूरता के साथ व्यवहार करने के अनुकूल है। ससुर को निचली अदालत ने बरी कर दिया है। पीडब्लू3 के अनुसार भी सास ने उससे मुलाकात की।

16.2.2001 और उसकी बहू के बारे में पूछताछ की। पीडब्लू3 ने उसे बताया कि उसकी बहन उदास थी और उसने उसे घर ले जाने के लिए कहा। पीडब्लू3 में कहा गया है कि मृतक ने उसे बताया कि आईडी1 से एक रात पहले, अपीलार्थी ने उसके पिता को गाली दी थी और जब उसने अपीलार्थी को अपने पिता को गाली देने से रोका, तो उसे और भी अधिक पीटा गया। यदि यह सच है, तो वास्तव में, यह समय के निकट क्रूरता है और इसके तुरंत बाद उसकी मृत्यु के समय के निकट एक कड़ी है। (डॉक्टर ने 28.2.2001 पर पोस्टमार्टम किया है। उन्होंने राय दी है कि मृत्यु और पोस्टमॉर्टम के बीच का संभावित समय लगभग 12 दिन था)। इसका मतलब है कि दुखद मृत्यु 16 या 17 फरवरी, 2001 को हुई थी। लेकिन पीडब्लू1 16.2.2001 की पूर्व संध्या पर किए गए टेलीफोन कॉल के बारे में एक शब्द भी नहीं बताता है। पीडब्लू3 के प्रमाण हैं कि उनके अनुमान में अपीलार्थी की स्थिति कम थी और उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था कि उन्होंने एक औद्योगिक कनेक्शन के लिए आवेदन किया था और वे अपना उद्योग शुरू करेंगे। इसके अलावा, पी. डब्ल्यू. 1 के भतीजे अवतार सिंह, जिन्हें पी. डब्ल्यू. 1 द्वारा संदर्भित किया जाता है, की जांच नहीं की जाती है कि उन्हें कुछ पहलुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान है।

31. ट्रायल कोर्ट ने प्रचार किए गए दो संस्करणों पर सावधानीपूर्वक चर्चा की है। जिन प्रश्नों को हमने परेशान करने वाले के रूप में प्रस्तुत किया, उनमें से अधिकांश उनके दिमाग में मौजूद थे। उच्च न्यायालय ने बचाव पक्ष को भी संदर्भित किया है

डी. डब्ल्यू. 6 और डी. डब्ल्यू. 8 सहित साक्ष्य।

16-02-2001 पर PW3 का घर, और यह इस दृष्टिकोण को लेता है कि वह उनसे मिलने वाले वे अंतिम व्यक्ति रहे हैं। यह भी पाया गया है कि मृतक को पीडब्लू 3 द्वारा फोन नहीं किया गया था। निचली अदालत को गवाहों के व्यवहार को देखने का लाभ मिला। हम यह नहीं मान सकते कि निचली अदालत द्वारा लिया गया दृष्टिकोण जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, रिकॉर्ड पर सामग्री द्वारा इस तरह से वारंट नहीं है। हम संभवतः यह नहीं मान सकते कि अदालतों द्वारा लिया गया दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से विकृत है या यह कि यह किसी भी सबूत पर आधारित नहीं है। भले ही हमें एक अलग दृष्टिकोण लेने के लिए राजी किया जाता है जैसा कि जगजीत सिंह बनाम।

अपीलार्थी द्वारा हम हस्तक्षेप करने में न्यायोचित नहीं होंगे। एम. एस. टी. में ए अवलोकन देखें। दलबीर कौर का मामला (ऊपर)।
33. उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह है कि हम हस्तक्षेप करने के लिए राजी नहीं हैं। अपील खारिज हो जाएगी।

अंकित ज्ञान